

30/8/24

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारान उपर
 प्रस्तुत गर्पना पर अर्द 7 R 11 में पूर्व में वध
 तुनी गरी प्रस्तुत वधम एवं पत्रावली में प्रस्तुत
 दस्तावेजान का विधि के पुस्तगत जावधानों
 के अवलोकन किया गया। दोनो पत्रों को
 पुना जाकर वाद में वर्णित तथ्यों के
 अध्ययन के बाद स्पष्ट है कि वाद शरानामें
 के आधार पर स्थानी निषेधाज्ञा नहीं दी
 जा सकती तथा पुनने का अधिकार सिविल
 न्यायालय का होने से गर्पना पर आदेश
 न निमम 71 व धारा 151 जा० दी०
 लाबित होने पर स्वीकार कर वाद
 अनारगत आदेश 7 निमम 11 व धारा 151
 जा० दी० के तहत खारिज किए जाने का
 आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय
 पृथक से टंकण कर शामिल फारल हो।
 पत्रावली फौसल शुमार होकर 61 खिल
 दफतर से आदेश खुले न्यायालय में
 पुनाया गया है

उपरजण्ड अधिकारी
 सौम्य लेक